<u>छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड</u>
<u>प्रधान कार्यालय, लोकाश प्लाजा, शंकर नगर रोड़, शंकर नगर, रायपुर</u>

क्र./वविनि/03/2016/ **रायपुर, दिनांक ....**

//विज्ञापन//

महत्वपूर्ण :–

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएगें। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र मण्डल द्वारा स्वीकार नही किए जाएगें।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वंय सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते है। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नही होगा कि उसकी अभ्यर्थिता मण्डल द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही मंडल पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपर्युक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिग/बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नही किये जाएगें।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16/09/2016 से 30/09/2016 रात्रि 11.59 बजे तक cgvypam.choice.gov.in पर किए जा सकेगें।

---

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है :–

क्र	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से भू.पू. सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	परियोजना क्षेत्रपाल	11	03	08	03	03	01	02	01	01	–	01	–	–	25	9300–34800 ग्रेड पे 4300

महत्वपूर्ण टीप :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. यह विज्ञापन छ.ग. राज्य वन विकास निगम के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. रिक्तियों में आरक्षण :–

(i) उपर्युक्त तालिका के कॉलम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग(गैरक्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएगें।

4. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **<u>परिशिष्ट "क"</u>** में उल्लेखित है।
5. **<u>ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।</u>**

(2) **पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हता एवं शारीरिक मापदण्ड :–**

(i) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :–**

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात् कृषि, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू–विज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र, में कम से कम एक विषय सहित विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष या अभियांत्रिकी/तकनीकी की किसी भी शाखा/विषय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए।

(ii) शारीरिक मापदण्ड (न्यूनतम)

		पुरूष	महिला
(एक)	ऊंचाई (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग)	163 से.मी.	150 से.मी.
(दो)	ऊंचाई (अनुसूचित जनजाति)	152 से.मी.	145 से.मी.
(तीन)	सीना	084 से.मी.	079 से.मी.
(चार)	न्यूनतम सीना विस्तार	005 से.मी.	005 से.मी.
(पाँच)	शारीरिक क्षमता परीक्षण, चार घण्टे पैदल चलना	026 कि.मी.	016 कि.मी.

(3) **परिवीक्षा अवधि :–** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(4) **वन क्षेत्रपाल प्रशिक्षण :– चयनित अभ्यर्थियों को निगम द्वारा समय–समय पर नियमानुसार वन क्षेत्रपाल प्रशिक्षण हेतु भिजवाया जावेगा। प्रशिक्षण शासन द्वारा चयनित महाविद्यालयों में प्राप्त किया जावेगा। वन क्षेत्रपाल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

महत्वपूर्ण नोट :–

(i) **अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण–पत्र मान्य नही होगें।**

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नही है।

(4) **निर्धारित आयु सीमा :–**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2016 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। **उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसके उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग है, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परंतु उसके **परिणाम–स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः–"छटनी किये गये सरकारी सेवक"** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(v) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।

(vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।**

(viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(ix) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में **उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष दी जाएगी।**

(x) राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। **यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक रहेगी।**

<u>महत्वपूर्ण टीप :–</u>

(i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक रायपुर दिनांक 17.12.2015 में दिए गए निर्देश के अनुसार **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी,** परंतु अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के सबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।**

(ii) आयु की गणना दिनांक 01.01.2016 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) **<u>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वंय सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें।</u>** परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नही होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है **चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।**

(6) **शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना :–**
शारीरिक दक्षता के पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिए सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नही होगें।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा– स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। **<u>अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र मण्डल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है।</u> ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नही किया जाएगा।**

(iv) **जाति प्रमाण पत्र :–**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर इसे मान्य नही किया जाएगा।

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमिलेयर के आधार पर ही देय हैं। गैर क्रीमिलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमिलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

(d) **यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण_पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–**

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका – 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4 (vii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4(viii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4(ix) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए जिला मजिस्ट्रेट/सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4(x) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरूस्कार प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4(xi) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण–पत्र।

(7) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे आनलाइन आवेदन कर सकते है परंतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे मण्डल को भेजने के लिए निवेदन करते हुये आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुये इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हो, तो ऐसी स्थिति में उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा तो लिया जाएगा, परंतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए मण्डल/निगम के संबंधित विभाग की कोई जवाबदारी नही होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जाएगा।

(8) **आपराधिक अभियोजन :–**

(A) **ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे मण्डल ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो :–**

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो या
(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो, जिनमें फेरबदल किया हो, या
(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
(vi) परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
(vii) **परीक्षा कक्ष**/शारीरिक दक्षता **परीक्षा में अनुचित साधनो का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो या**
(viii) परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या
(ix) प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यथियों के लिए दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल है, का उल्लंघन किया हो, या
(x) परीक्षा कक्ष में या शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) **छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।**

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :–
(i) मंडल द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी, और/या
(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा –
(a) मण्डल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
(b) निगम द्वारा नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और
(c) यदि वह शासन/निगम के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,
परंतु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नही की जाएगी, जब तक कि–
(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया हो, और
(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हता :–** छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कर्मचारी सेवानियमावली 1984 एवं छ.ग. राज्य वन विकास निगम परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती नियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा/नही होगी।

परंतु यदि निगम को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नही किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परंतु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नही होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नही है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद नियुक्ति क लिए पात्र नही होगा।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के निरर्हित नही होगा।

(10) **चयन प्रक्रिया :–** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा हेतु बुलाये जाने के हकदार नही हो जाते है।

(i) उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) **परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट–क में दिया गया है।**

(iii) परीक्षा हेतु रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं बिलासपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

(11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–**

(i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200/– एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते है, के लिए रूपये 250/–, तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदको के लिए रूपये 350/– आवेदन शुल्क देय होगा।

(12) **यात्रा व्यय का भुगतान :–**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी है, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से सबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

(13) **विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation) :–**
इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार मंडल का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं मंडल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

Manager (Admn.)
Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
RAIPUR